माननीय अध्यक्ष महोदय,

इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय हमारी सरकार के सामने प्रदेश के उस वंचित तथा उपेक्षित वर्ग की तस्वीर है, जिसके सपने अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। विकास की धारा से यह वर्ग पूरी तरह से जुड़ सके, यह हमारा संकल्प है। इस बजट की प्राथमिकतायें मुख्यतः इसी लक्ष्य से प्रेरित हैं। **आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने खाद्य सुरक्षा, सुपोषण, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों एवं बालिकाओं में शिक्षा का विस्तार, किसान, महिला तथा निःशक्तजनों के सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया है।**

2. विगत 3 वर्षों में हमने अधोसंरचना तथा औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए हैं, जिसमें हमें उल्लेखनीय सफलतायें भी मिली हैं। राज्य की एक बड़ी उपलब्धि यह भी रही है कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़, गतिशील एवं मजबूत बनी रही, राजस्व प्राप्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, हम गैर उत्पादक व्यय को यथासंभव नियंत्रित करने में सफल रहे। फलस्वरूप विकास कार्यों के लिए हमें अधिकाधिक संसाधन प्राप्त हुए। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि हाल ही में **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई राज्यों की बजट समीक्षा के अंतर्गत विकासोन्मुखी तथा सामाजिक क्षेत्रों में व्यय के मापदंड के अनुसार छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है।** हमारा यह प्रयास होगा कि प्रदेश की शिखर की ओर यह यात्रा निरन्तर जारी रहे।

3. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहली बार ''**परिणामी बजट**'' प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभागों की प्रमुख योजनाओं के आवंटन के विरूद्ध प्राप्त होने वाले ठोस परिणामों को चिन्हित किया गया है। इससे क्रियान्वयन एजेंसी की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

आर्थिक स्थिति

4. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा। वर्ष 2005–06 में प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 50,294 करोड़ है, **जो कि वर्ष 2004–05 के 43,698 करोड़ की तुलना में 15.09 प्रतिशत अधिक है**। इसी अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13.80 प्रतिशत रही है। विगत वर्षों की तुलना में यह वृद्धि दर अधिक होने का मुख्य कारण अच्छी मानसून से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होना है।

4.1 वर्ष 2005–06 में प्रति व्यक्ति आय 19,436 रुपए, जो कि वर्ष 2004–05 की प्रति व्यक्ति आय 17,176 रुपए की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।

4.2 स्थिर भाव (1999–2000) पर राज्य की सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2005–06 के लिए 40,121 करोड़ आंकी गई है, जो कि वर्ष 2004–05 के 36,473 करोड़ की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में प्राथमिक सेक्टर में वृद्धि की यह दर 16 प्रतिशत, द्वितीयक सेक्टर में 7 प्रतिशत तथा सेवा सेक्टर में 6 प्रतिशत है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि उत्साहवर्धक रही है।

4.3 अध्यक्ष महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना का यह अंतिम वर्ष है। इस योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का निर्धारित लक्ष्य 6.10 प्रतिशत के विरूद्ध प्रथम चार वर्षों में हमारी उपलब्धि 7.9 प्रतिशत रही। कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 7.5 प्रतिशत, उद्योग के क्षेत्र में 7.5 के विरूद्ध 9.6 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 7 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध 6.7 प्रतिशत उपलब्धि रही है। **इस प्रकार मार्च, 2007 तक हम दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने में सफल होंगे।**

कृषि

5. विगत कई वर्षों से यह अवधारणा बनी हुई थी कि कृषि आधारित विकास किसी विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। दरअसल विकास का यह नजरिया विकसित देशों का है। हमारी तो शुरू से ही विकास की धारणा यह रही है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। समय की कसौटी पर यह धारणा खरी उतर रही है। अर्थशास्त्री भी अब यह मानने लगे हैं कि भारत जैसे विकासशील देश जहाँ 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, के लिए कृषि आधारित विकास ही अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन सकता है। इससे गांव और शहर में फैली आर्थिक असमानता तथा गरीब एवं अमीर के बीच की खाई पट सकेगी। इसे देखते हुए कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे सदन को यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में विगत वर्षों में किए गए प्रयासों से दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में छत्तीसगढ़ के कृषि सेक्टर में सकल घरेलू उत्पाद की औसतन वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रही है, जो कि उत्साहवर्धक है।

5.1 आज के वैश्वीकरण के दौर में ''मुक्त व्यापार व्यवस्था'' में हमें विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी, जिसके लिए **कृषि क्षेत्र में आधुनिक टेक्नालॉजी, उन्नत बीज, प्रतिस्पर्द्धात्मक साख व्यवस्था तथा अधिक पूंजीनिवेश की आवश्यकता है। इस दिशा में कई नवीन योजनायें प्रस्तावित की जा रही है।**

5.2 अध्यक्ष महोदय, उन्नत बीज की उपलब्धता कृषि विकास को गतिशील करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी सोच से वर्ष 2004–05 में हमने प्रमाणीकृत बीज की उपलब्धता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार ''बीज एवं कृषि विकास निगम'' की स्थापना की थी। गत वर्ष धान, गेंहूँ,

मक्का आदि अनाज के प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन एवं वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए 1.7 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था की गई थी। **मुझे सदन को यह बताने में हर्ष है कि इस योजना को आगे बढ़ाते हुए फसल चक्र परिवर्तन के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2007–08 के बजट में दलहन एवं तिलहन के प्रमाणित बीज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु 500/– रुपए प्रति क्विंटल के ''उत्पादन अनुदान'' की नई योजना लागू की जाएगी**, जिसके लिए 1.25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इससे 23,000 क्विंटल प्रमाणित बीज का अतिरिक्त उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश की अनुसूचित जाति/जनजाति तथा लघु एवं सीमांत कृषकों में प्रमाणित बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ''**बीज बैंक**'' योजना प्रारम्भ की जाएगी।

5.3 प्रदेश में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीज परिवहन अनुदान बाबत् 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

5.4 कृषि के क्षेत्र में तकनीकी के उपयोग को व्यापक बनाने के उद्देश्य से **कृषि यंत्रों पर 25 प्रतिशत ''वितरण अनुदान'' दिया जाएगा एवं इसके लिए 2 करोड़ का बजट प्रावधान है**। केन्द्र से मिलने वाले अनुदान को मिलाकर कृषि यंत्रों पर अब अनुदान की राशि 50 प्रतिशत हो जाएगी।

5.5 हमारी सरकार द्वारा 1 लाख कृषि पंपों के उर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया है एवं इस कड़ी में वर्ष 2007–08 में 40,000 पंपों को उर्जीकृत किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रति पंप 40,000 रुपए अनुदान के रूप में विद्युत मंडल को उपलब्ध कराया जाता है।

5.6 अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के खलिहानों में प्राकृतिक विपदा के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उसकी भरपाई के लिए ''**खलिहान बीमा योजना**'' लागू की जाएगी, जिसके लिए बजट में 1 करोड़ का प्रावधान है।

5.7 ग्रामीण अंचलों में **''मिनी राईस मिलों'' को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन की ओर से 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है**, जिसके लिए 1 करोड़ का बजट रखा गया है। केन्द्र सरकार के अनुदान को मिलाकर मिनी राईस मिलों के लिए अनुदान की राशि लगभग 50 प्रतिशत हो जाएगी। कृषि क्षेत्र हेतु गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक प्रावधान किया गया है।

<u>सहकारिता</u>

6. अध्यक्ष महोदय, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 1 अक्टूबर, 2004 से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले ''अल्पावधि कृषि ऋण'' पर ब्याज की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत की गई थी, जो कि पूरे देश में न्यूनतम ब्याज दर हो गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार इसे 7 प्रतिशत किया गया है।

मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस ब्याज दर को और भी कम करते हुए मात्र 6 प्रतिशत किया जाएगा, जो कि पूरे देश में कृषि ऋण पर न्यूनतम ब्याज दर होगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति अनुदान बाबत् रुपए 15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

6.1 दिसम्बर, 2003 की स्थिति में प्रदेश के 4 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक क्रमशः राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर को उनकी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण नाबार्ड से रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण की पात्रता नहीं थी। चालू वित्तीय वर्ष में राजनांदगांव बैंक को यह सुविधा मिल गई है एवं राज्य शासन द्वारा बिलासपुर तथा जगदलपुर बैंक में क्रमशः 13 एवं 16.57 करोड़ की अंशपूंजी बाबत् धनवेष्ठन किया है, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष में ये दोनों बैंक भी नाबार्ड से रियायती दर पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। **अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताने में प्रसन्नता है कि इस कड़ी में शेष बचे अंबिकापुर जिला सहकारी बैंक को भी यह सुविधा दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2007–08 में राज्य शासन की ओर से 23 करोड़ की अंशपूंजी बाबत् धनवेष्ठन किया जाएगा एवं 31 मार्च, 2008 तक प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंक नाबार्ड से यह सुविधा प्राप्त करने के हकदार बन जाएंगे।**

6.2 सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने का निर्णय लिया है।

6.3 अंबिकापुर में शक्कर कारखाना हेतु अंशपूंजी धनवेष्ठन में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सिंचाई

7. अध्यक्ष महोदय, राज्य गठन के पश्चात् हमने सिंचाई क्षमता में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। फिर भी सिंचाई के राष्ट्रीय औसत से हम काफी पीछे हैं, जिसे प्राप्त करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। चालू वित्तीय वर्ष में रुपए 889 करोड़ बजट प्रावधान की तुलना में इस बजट में सिंचाई संसाधन में वृद्धि हेतु 960 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

7.1 वर्ष 2007–08 में प्रदेश के निर्माणाधीन वृहद परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना के केनाल लाईनिंग, दो मध्यम परियोजनायें क्रमशः मोगरा प्रथम चरण तथा खरखरा मोहदीपाट परियोजना, 60 लघु सिंचाई योजनायें एवं 131 एनीकट निर्माण के कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे 85,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

7.2 इसके अतिरिक्त दो वृहद परियोजना क्रमशः खारंग तथा तांदुला जलाशय का अरमरी केनाल लाईनिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा, जिसके सर्वे कार्य हेतु 1.5 करोड़ का प्रावधान है। 105 नवीन लघु सिंचाई योजना एवं 48 नवीन एनीकट योजना हेतु 46 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पेयजल

8. अध्यक्ष महोदय, विकासशील देशों के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने वर्ष 2007–08 के बजट में प्रदेश के ग्रामीण, विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में तथा शेष बचे नगरीय निकायों के लिए पेयजल आपूर्ति पर विशेष जोर दिया है। **इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पेयजल के वर्तमान बजट प्रावधान 343 करोड़ में 40 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2007–08 के लिए 482 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है**, जो कि अब तक पेयजल आपूर्ति के लिए सबसे अधिक बजट आवंटन है।

8.1 ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल से लगभग अछूती प्रदेश की 6,000 बसाहटों में से 5,000 बसाहटों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। **इन 5,000 बसाहटों में से 76 प्रतिशत अर्थात् 3,800 अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।**

8.2 नगरीय क्षेत्र में जल प्रदाय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रचलित 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाकर **70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत ऋण की नई व्यवस्था लागू की जाएगी एवं प्रदेश के शेष बचे 33 नगरीय निकायों में नल जल योजना प्रारम्भ करने के लिए 118.18 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।**

8.3 इस वर्ष के अंत तक प्रदेश के सभी स्कूल एवं महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा

9. अध्यक्ष महोदय, हम सब इस कटु सत्य से वाकिफ हैं कि गरीबी भारत की सबसे बड़ी अभिशाप बनी रही है। इस सत्य को भी स्वीकार करना होगा कि प्रदेश की 45 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करती है, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। इन बी.पी.एल. परिवारों के खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। वर्ष 2004 में हमने उचित मूल्य दुकानों का संचालन निजी हाथों से लेकर सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों, महिला स्वसहायता समूह एवं वन सुरक्षा समितियों को सौंपा था। इसके साथ–साथ पिछड़े क्षेत्रों में निवासरत निर्धन लोगों के लिए ''खाद्य सुरक्षा कोष'' का भी गठन किया था। **छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य था, जिसने ये दोनों व्यवस्थायें लागू की। अब इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक हो गये हैं।**

9.1 भारत सरकार द्वारा संचालित ''अंत्योदय अन्न योजना'' में मात्र 30 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को सहायता प्राप्त होती है। अनुसूचित क्षेत्रों के पिछड़ेपन को देखते हुए हमने लगातार केन्द्र सरकार से यह मांग रखी है कि अनुसूचित जनजाति के सभी बी.पी.एल. परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाए। लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

अब हमने स्वयं के संसाधनों से प्रदेश के शेष लगभग 4 लाख बी.पी.एल. अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को इस योजना के अनुरूप 3/– रुपए प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ–साथ आर्थिक दृष्टि से कमजोर 9 लाख अतिरिक्त परिवारों को 6.25/– रुपए प्रति किलो की रियायती दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' लागू की जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 113.97 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान इस भावना से प्रेरित है :

''इबादत है किसी भूखे को दो रोटी खिला देना,
इबादत है किसी नंगे को कुछ कपड़ा दिला देना।
किसी बर्बाद को आबाद कर देना इबादत है,
किसी नाशाद को दिलशाद कर देना इबादत है।''

9.2 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को बैंकों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है। इसके बेहतर संचालन हेतु राज्य शासन की ओर से निगम को रिवालविंग फंड के रूप में आवश्यक पूंजी रियायती ब्याज दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी एवं इसके लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

<u>अनुसूचित जाति/जनजाति विकास</u>

10. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इस दिशा में आश्रम शाला काफी उपयोगी साबित हुए हैं। **विगत दो वर्षों के इस प्रयास को और गति देते हुए वर्ष 2007–08 में 113 नवीन आश्रम शालायें, 251 नवीन प्रीमेट्रिक तथा 41 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास प्रारम्भ किए जाएंगे**। साथ ही वर्तमान में संचालित आश्रम तथा छात्रावासों में सीट वृद्धि की जा रही है, इससे कुल 21,560 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस हेतु 20.77 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10.1 इस बजट में 49 छात्रावासों एवं 128 आश्रमों के नवीन भवन निर्माण हेतु प्रावधान है। **आश्रम एवं छात्रावास भवन निर्माण हेतु वर्ष 2007–08 के बजट में कुल 42 करोड़ का प्रावधान है, जो कि प्रदेश गठन के पश्चात् इस मद में सबसे अधिक आवंटन है**।

10.2 97 हाईस्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन तथा 151 माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूलों में उन्नयन किया जाएगा।

10.3 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना जागृत करने के लिए इस वर्ष से ''**मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना**'' लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत दसवीं तथा बारहवीं कक्षा के 1,000 अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी।

10.4 छात्रावास के विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ''**स्वस्थ तन–स्वस्थ मन**'' नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके लिए 1.5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

10.5 ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु समुचित भवन उपलब्ध कराने के लिए 434 ग्रामों में मंगल भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु बजट में 15.19 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10.6 डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब की नीतियों के प्रचार–प्रसार हेतु 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

स्कूल शिक्षा

11. अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। **हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विस्तार को इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है**। इस हेतु 143 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल में तथा 80 हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 19.6 करोड़ का प्रावधान है।

11.1 बालिका शिक्षा के विकास हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए संचालित ''सूचना शक्ति योजना'' के अंतर्गत वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र की सभी बालिकायें तथा शहरी क्षेत्र की अनुसूचित जाति/जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। **अब शहरी क्षेत्र की शेष बची 21,000 सामान्य वर्ग की बालिकाओं को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है**। इस हेतु 1.6 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त फर्नीचर उपकरण एवं टाटपट्टी प्रदाय हेतु 11.35 करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में 7 जिला ग्रंथालयों के नवीन भवन निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।

11.2 अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनायें लागू की गई हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए **प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालिकाओं के शाला प्रवेश में वृद्धि तथा ड्राप आऊट में उल्लेखनीय कमी करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत जाएगा**। इस हेतु 50 लाख का बजट प्रावधान है।

उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा

12. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा के समुचित विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु कई निर्णय लिए गए हैं। वर्ष 2007–08 में गुरूर, धर्मजयगढ़, मरवाही, मोहला, बगीचा एवं बोड़ला में नवीन महाविद्यालय तथा बैकुंठपुर एवं दंतेवाड़ा में महिला महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12.1 अंग्रेजी शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय के एक–एक महाविद्यालय में इंग्लिश लैब प्रारम्भ की जाएगी।

12.2 राज्य में ''छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी'' की स्थापना भी की जा रही है।

12.3 राज्य के औद्योगिक विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **तकनीकी दक्ष मानव संसाधन की अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तपकरा, बीजापुर, लैलुंगा, अकलतरा, करतला, मगरलोड एवं कांकेर में नवीन आई.टी.आई. खोला जाएगा**। साथ ही वर्तमान आई.टी.आई. में अतिरिक्त व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रारम्भ करते हुए लगभग 1,750 सीटों की वृद्धि की जाएगी। इस हेतु 9.76 करोड़ का प्रावधान है।

12.4 तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु महासमुंद एवं जांजगीर–चांपा में नवीन पॉलीटेक्निक प्रारम्भ की जाएगी।

12.5 निर्माण कार्य हेतु दक्ष कार्यबल की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ''**विश्वकर्मा योजना**'' की परिकल्पना की गई है, इसके अंतर्गत युवाओं को अल्पकालीन प्रशिक्षण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है।

12.6 इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए नवीन उपकरण क्रय हेतु 8.56 करोड़ का प्रावधान है।

स्वास्थ्य

13. अध्यक्ष महोदय, विगत 3 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक में सुधार की दिशा में हमने लगातार प्रयास किया है, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए निर्धारित राष्ट्रीय मानक को हमने प्राप्त कर लिया है। **भारत सरकार के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर जो कि प्रदेश गठन के समय 95 प्रति हजार थी, कम होकर 61 हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 64 प्रति हजार है।**

13.1 वर्ष 2006–07 में हमने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी की पूर्ति का विशेष प्रयास किया था। इस बजट में स्वास्थ्य सेवा संबंधी अधोसंरचना की कमी की पूर्ति को महत्व दिया है। वर्ष 2006–07 में स्वास्थ्य संबंधी बजट में रिकार्ड 39 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। **इसी कड़ी में 2007–08 के बजट में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 740 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

13.2 इस बजट में 1178 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन, 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 30.65 करोड़ तथा भवनविहीन 201 आयुर्वेदिक औषधालयों के भवन निर्माण हेतु 5.50 करोड़ का प्रावधान है।

13.3 रायपुर में 100 बिस्तर के नवीन केंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। राज्य में सिकलसेल तथा अनुवांशिक रोगों के रोकथाम, अनुसंधान तथा उपचार हेतु चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में ''सेंटर फॉर जेनेटिक डिजिजेस एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी लैबोरेटरी'' की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में 50 सीटों की वृद्धि की जाएगी तथा अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ''थेरॉसिक सर्जरी यूनिट'' एवं ''नेफरोलॉजी विभाग'' की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के उन्नयन हेतु कुल 13.34 करोड़ का बजट प्रावधान है।

13.4 अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताने में प्रसन्नता है कि हमने चालू वित्तीय वर्ष में जगदलपुर में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ किया है एवं **आगामी वर्ष रायगढ़ में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है**।

13.5 अध्यक्ष महोदय, **छत्तीसगढ़ में सिकलसेल बीमारी एक विशिष्ट समस्या है**। इसे ध्यान में रखते हुए इसके डोर–टू–डोर सर्वे, रोकथाम तथा लोगों में जागरूकता लाने हेतु रायपुर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया जाएगा, जिसके लिए 70 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इसके सफलता के आधार पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रारम्भ किया जाएगा।

13.6 प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 5.20 करोड़ का बजट रखा गया है।

13.7 स्वास्थ्य सेवाओं को दिशा देने के उद्‌देश्य से वर्ष 2007–08 से प्रदेश में जनसंख्या एवं स्वास्थ्य नीति लागू की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास

14. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं इस भाषण के प्रारम्भ में उल्लेख कर चुका हूँ, इस बजट में हमने बच्चों तथा महिलाओं में व्याप्त कुपोषण की स्थिति को सुधारने पर विशेष जोर दिया है। इसी कड़ी में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन करते हुए 1 अप्रैल, 2007 से पोषण आहार वितरण का कार्य ग्राम पंचायतों तथा महिला स्वसहायता समूहों को सौंपा जा रहा है। **इस नवीन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु इनके सदस्यों को प्रशिक्षण देने की योजना लागू की जा रही है** ।

14.1 नवजात बच्चे का स्वास्थ्य, माता के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। इसी दृष्टि से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के साथ–साथ 11 से 18 वर्ष की किशोरियों में कुपोषण तथा एनिमिया दूर करने के उद्देश्य से उन्हें पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, इस हेतु 7.14 करोड़ का बजट प्रावधान है।

14.2 **अध्यक्ष महोदय, 3 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 46 की तुलना में छत्तीसगढ़ का औसत 52 प्रतिशत है** । कुपोषण की इस समस्या के निदान हेतु सर्वेक्षण तथा डाटा बेस तैयार करना अनिवार्य है। इस दिशा में यूनिसेफ के सहयोग से प्रदेश के सभी 16 जिलों में **''न्यूट्रिशन सर्वेलेन्स'' कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजना बनाने तथा उसे लागू करने में मदद मिलेगी**।

14.3 अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में लगभग 70,000 महिला स्वसहायता समूह कार्यरत हैं। हमारी सरकार ने इन समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न शासकीय कार्यक्रम जैसे – उचित मूल्य दुकानों तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन, गणवेश सिलाई आदि में भागीदार बनाया है। चालू वित्तीय

वर्ष में इन समूहों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु महिला कोष से दिए जाने वाले ऋण पर प्रचलित ब्याज दर 8 को घटाकर 65 प्रतिशत किया गया है। **इसी क्रम में इन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु आधारभूत प्रशिक्षण की योजना लागू की जाएगी एवं इस हेतु वर्ष 2007—08 के बजट में 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

14.4 भवनविहीन आंगनबाड़ी की समस्या के निराकरण की दिशा में हमने विगत 3 वर्षों में लगभग 4,000 आंगनबाड़ी भवन निर्मित किए हैं। इस बजट में 1,425 आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु 32 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

14.5 1 अप्रैल, 2007 से **आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को प्रतिमाह क्रमशः 200/— रुपए एवं 100/— रुपए अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा।**

समाज कल्याण

15. अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। इसी क्रम में इस बजट में 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के निराश्रितों को मिलने वाली पेंशन में राज्यांश वृद्धि की जाकर 100 /— प्रतिमाह की गई है, जिससे उन्हें 150/— रुपए के स्थान पर अब 300/— प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार पूर्णतः राज्य पोषित पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से कम उम्र के सभी निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता तथा निःशक्तजनों को 150/— रुपए के स्थान पर अब 200/— रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। **इसके लिए 73.20 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिससे प्रदेश के लगभग 6 लाख निराश्रित व्यक्ति लाभान्वित होंगे।**

15.1 निःशक्तजनों के समग्र पुनर्वास के लिए सामर्थ्य विकास की नवीन योजना हेतु इस बजट में 1 करोड़ का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत निःशक्त व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण, स्वरोजगार एवं पुनर्वास की सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी।

15.2 निःशक्त व्यक्तियों के स्वावलंबन के लिए प्रथम चरण में श्रवण बाधित बच्चों की वाणी विकसित करने हेतु रायपुर में ''**स्वावलंबन केन्द्र**'' की स्थापना की जाएगी।

<u>ग्रामीण विकास</u>

16. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के बहुत सारे ऐसे छोटे–छोटे नगरीय निकाय हैं, जिन्हें एक ओर ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, वहीं दूसरी ओर शहरी विकास योजनाओं से भी अछूते रह जाते हैं। इनकी अधोसंरचना की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की 5,000 से अधिक आबादी वाली 74 नगर पंचायतों के मूलभूत कार्यों के लिए इस बजट में 18.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

16.1 **छत्तीसगढ़ के महापुरूषों की जन्म स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु ''ग्राम गौरव'' योजना लागू की जाएगी**, जिसके लिए इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

16.2 रोजगार गारंटी योजना से वंचित प्रदेश के 5 जिलों के विकास हेतु **''मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना''** के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 50 प्रतिशत अधोसंरचना कार्य हेतु तथा शेष 50 प्रतिशत रोजगारमूलक कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

16.3 प्रदेश के मुख्यालय से दूर स्थित अनुसूचित जनजाति बाहुल्य तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के बेहतर समन्वय तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु **जगदलपुर तथा अंबिकापुर में क्षेत्रीय विकास आयुक्त की पदस्थापना की जाएगी।**

नगरीय विकास

17. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जवाहर शहरी नवीनीकरण मिशन हेतु 150 करोड़ का प्रावधान रखा है। इससे रायपुर शहर में 27,976 आवास बनाये जाएंगे तथा इन आवासों हेतु मूलभूत सुविधा प्रदान की जाएगी। शहरी मलिन बस्तियों में एकीकृत आवास तथा मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत 106.67 करोड़ का प्रावधान है। इससे 28 शहरों में 20,000 आवासों का निर्माण तथा विकास कार्य किया जाएगा। लघु तथा मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास के लिए 88.89 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इससे शहरों की जलप्रदाय योजना तथा सीवर लाईन के कार्य करवाये जाएंगे।

वन एवं पर्यावरण

18. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगणों को मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश के लगभग 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए हमने ''जनश्री समूह बीमा योजना'' लागू करने का निर्णय लिया है। प्रचलित बीमा योजना की तुलना में **इस नवीन योजना में संग्राहकों के परिवारों को 2 से 5 गुना अधिक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होगी**। बीमा प्रीमियम राशि भुगतान हेतु इस वर्ष बजट में 9.44 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.1 राज्य की वन संपदा के अनुसंधान तथा अधिकारी/कर्मचारियों के प्रशिक्षिण हेतु राज्य स्तरीय ''वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान'' की स्थापना हेतु 2.87 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

18.2 अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के बांस वन वहाँ के निवासियों की आजीविका के साधन हैं। इससे जहां एक ओर रोजगार का अवसर मिलता है, वहीं दूसरी ओर बांस पर आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। इस उद्देश्य से सामाजिक वानिकी के रूप में **बांस वनों का पुनरूद्धार का व्यापक कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसके लिए इस बजट में 12 करोड़ का प्रावधान है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में तीगुना है** ।

18.3 प्रदेश के दुर्गम वन क्षेत्र में आवागमन के साधनों को बेहतर बनाने हेतु वन मार्गों के रपटा–पुलिया निर्माण एवं वन मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.4 नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में वनकर्मियों के लिए होस्टल निर्माण हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

उद्योग एवं ग्रामोद्योग

19. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के इस्पात उद्योगों के सतत् विकास के लिए दल्लीराजहरा – जगदलपुर रेल मार्ग का निर्माण अपरिहार्य आवश्यकता है। लम्बे अरसे की मांग के पश्चात् भारत सरकार द्वारा अंततः इस योजना को स्वीकृति दे दी गई है, जिसके लिए राज्य शासन को भूमि उपलब्ध करानी होगी। इस रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु 15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

19.1 अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हस्तशिल्प की अपार संभावनायें हैं एवं राज्य की अर्थव्यवस्था तथा विदेशी मुद्रा अर्जन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी की अगली कड़ी में हमारी सरकार ने **''फ्यूजन स्कूल ऑफ आर्ट शिल्प पाठशाला''** प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उत्पादित शिल्प के विक्रय, निर्यात को बढ़ावा देने तथा प्रशिक्षण देने हेतु बिलासपुर में **''प्रशिक्षण सह संग्रहण केन्द्र''** की स्थापना की जाएगी।

19.2 परम्परागत उद्योगों में आधुनिक तकनीकी का उपयोग आर्थिक विकास की दिशा में एक सार्थक पहल होगी। इसको ध्यान में रखते हुए कुम्हारों को ''शैला चाक'' देने की योजना है। इस हेतु 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

<u>ऊर्जा</u>

20. अध्यक्ष महोदय, **हमारी सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क एकल बत्ती कनेक्शन देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए इस बजट में 50 करोड़ का प्रावधान है**।

20.1 अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचलों में घरेलू कनेक्शन हेतु निरन्तर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गत वर्ष से **''अटल ज्योति योजना''** प्रारम्भ की गई थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2007–08 में 860 गांव लाभान्वित होंगे।

20.2 ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त आवासों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए **''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना''** हेतु 22.50 करोड़ राज्यांश का प्रावधान है।

सड़क

21. प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य राजमार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन हेतु इस बजट में एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत 2500 किलोमीटर मार्ग का अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर उन्नयन किया जाएगा। यह निर्माण कार्य पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत एन्युटी के भुगतान के आधार पर किया जाएगा एवं इस हेतु ''विशेष निधि'' की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2007–08 के बजट में इस निधि में 200 करोड़ का धनवेष्ठन किया जाएगा।

राजस्व प्रशासन

22. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा **नारायणपुर तथा बीजापुर को नया राजस्व जिला बनाने, राज्य में 49 विकासखंडों को तहसील का दर्जा देने तथा** देवरी बंगला, जिला दुर्ग एवं पिपरिया, जिला कबीरधाम में नवीन उप तहसील कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इस हेतु 16.84 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

22.1 राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण की अगली कड़ी के रूप में **650 नये पटवारी हलका तथा जगदलपुर में पटवारी प्रशिक्षण शाला** की स्थापना भी की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है।

पुलिस एवं जेल प्रशासन

23. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की नक्सली समस्याओं को देखते हुए पुलिस बल में 10,000 अतिरिक्त पद निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। इस अनुक्रम में इस वर्ष पुलिस बल में 4,000 अतिरिक्त पद निर्मित किए गए हैं तथा **इस बजट में 3,500 अतिरिक्त पद निर्मित करने का प्रस्ताव है। इस हेतु 35 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।**

23.1 हमारी सरकार द्वारा उपजेल जांजगीर–चांपा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर तथा दंतेवाड़ा को जिला जेल में उन्नयन किया जा रहा है।

जनजागरण अभियान

24. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं :–

- इन शिविरों में ऐसी अनेक प्रतिभायें हो सकतीं हैं, जिन्हें तलाशना और तराशना आवश्यक है। **इस उद्देश्य से नक्सली हिंसा में मारे गये परिवारों के अनाथ बच्चों के पालन–पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था हेतु 2 करोड़ का बजट प्रावधान है**। ये वो वनफूल हैं, जिनको मिला नहीं माहौल, महक रहे हैं, मगर जंगल में रहते हैं।

- इन शिविरार्थियों के कुपोषण एवं एनिमिया से ग्रस्त बच्चों को दुगुना पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने हेतु 2 करोड़ का प्रावधान है।

- इन शिविरों में निवासरत् बेरोजगार युवकों के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु 64 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- इन शिविरार्थियों के अपने गाँव में कृषि कार्य हेतु सहायता बाबत् 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

न्याय प्रशासन

25. अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था हेतु 25 व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 तथा, जांजगीर–चांपा, राजनांदगांव तथा कोरिया में परिवार न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं। न्यायिक सुधार के लिए कम्प्यूटराईजेशन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

खेल एवं युवक कल्याण

26. अध्यक्ष महोदय, खेल गतिविधियों के विकास हेतु रायपुर में खेल छात्रावास तथा खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है। कवर्धा तथा जांजगीर–चांपा में स्टेडियम निर्माण तथा रायपुर के कोटा स्टेडियम में हॉकी हेतु एस्ट्रोटर्फ लगाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 11.55 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

श्रम

27. अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पतरापाली, तराईमाल, जिला–रायगढ़ एवं टेडेसर–सोमनी, जिला–राजनांदगांव में औषधालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 25,200 श्रमिक लाभान्वित होंगे।

संस्कृति एवं पर्यटन

28. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ बहुआयामी संस्कृति के संरक्षण हेतु राज्य शासन प्रतिबद्ध है। इस हेतु राजिम कुंभ मेला, बिलासा महोत्सव, चक्रधर समारोह, सरगुजा महोत्सव, मल्हार उत्सव आदि का आयोजन किया जा रहा है। आगामी वर्ष में सांस्कृतिक विकास हेतु बजट में 11 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 13.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

28.1 छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य अकादमी की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है।

28.2 राज्य में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से होटल प्रबंधन संस्थान के निर्माण हेतु 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2006–07 का पुनरीक्षित अनुमान

29. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2006–07 के पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

29.1 वर्ष 2006–07 में कुल व्यय 12,309.80 करोड़ अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 13,646.66 करोड़ संभावित है। इसका मुख्य कारण एकल बत्ती कनेक्शन हेतु आर्थिक सहायता, ''नया रायपुर'' के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रावधान एवं शहरी नवीकरण मिशन तथा इससे संबंधित योजनाओं हेतु राशि का प्रावधान है।

29.2 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 10,797.18 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 11,926.28 करोड़ अनुमानित है। राजस्व प्राप्ति में यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के कर राजस्व में 11 प्रतिशत वृद्धि, केन्द्रीय करों के हिस्से तथा विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रीय अनुदान में अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना के कारण है।

29.3 **वर्ष 2006–07 के बजट अनुमान में अनुमानित राजस्व आधिक्य 1199.91 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 1678.30 करोड़ का राजस्व आधिक्य संभावित है।** इसका मुख्य कारण बजट अनुमान के विरूद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में 10 प्रतिशत वृद्धि है। इसके फलस्वरूप राजकोषीय घाटा का बजट अनुमान 1,438.75 करोड़ से घटकर पुनरीक्षित

अनुमान में 1,427.58 करोड़ संभावित है। **पुनरीक्षित अनुमान में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.63 प्रतिशत है, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के निर्धारित सीमा के अनुरूप है।**

वर्ष 2007–08 का बजट अनुमान

30. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2007–08 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ :–

30.1 **वर्ष 2007–08 के लिये कुल व्यय 15,509.66 करोड़ है, जिसमें आयोजनेत्तर व्यय 7,669.04 करोड़ तथा आयोजना व्यय 7,840.62 करोड़ है।** वर्ष 2006–07 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में कुल व्यय 1,863 करोड़ अर्थात् 14 प्रतिशत अधिक है।

30.2 पूंजीगत व्यय से ही विकास को गति मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुये वर्ष 2007–08 में पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया गया है तथा इस मद में **वर्ष 2006–07 के पुनरीक्षित अनुमान 2,549.31 करोड़ की तुलना में इस बजट में 3,558.90 करोड़ अर्थात् 1009.59 करोड़ की वृद्धि अनुमानित की गई है। पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 6.08 प्रतिशत तथा कुल व्यय का 23 प्रतिशत अनुमानित है।**

30.3 राज्य के विकास की गति को और आगे बढ़ाते हुये वर्ष 2007–08 में **आयोजना व्यय में वर्ष 2006–07 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आयोजना व्यय कुल व्यय का 51 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो कि वर्ष 2006–07 की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है।** विकास की दिशा में यह एक स्वस्थ संकेतक है।

30.4 गैर विकासोन्मुखी व्यय को सीमित रखा गया है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, वर्ष 2006–07 के पुनरीक्षित अनुमान 6,954.44 करोड़ की तुलना में वर्ष 2007–08 में 7,623.19 करोड़ अनुमानित है। इसमें वेतन, भत्ते हेतु 2,716 करोड़, पेंशन हेतु 760 करोड़, ब्याज हेतु 1,198.63 करोड़, प्रमुख आर्थिक सहायता हेतु 163 करोड़ तथा विभिन्न संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान हेतु 1,145 करोड़ सम्मिलित है। **विगत वर्षों के ब्याज भुगतान एवं कुल राजस्व प्राप्तियों का औसतन अनुपात 15 प्रतिशत से घटाकर 8.9 प्रतिशत पर सीमित किया गया है।**

30.5 **राज्य आयोजना व्यय में वर्ष 2006–07 के पुनरीक्षित अनुमान 6,438.44 करोड़ की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 7,170.72 करोड़ अनुमानित की गई है**, जिसमें केन्द्रीय सहायता 1390.17 करोड़ तथा शेष 5657.68 करोड़ राज्य के स्वयं के संसाधनों से उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य आयोजना के लिए संसाधन में राजस्व आधिक्य का प्रतिशत गत वर्षों के 7 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत हो गया है। **इससे यह स्पष्ट है कि राज्य का आयोजना व्यय का 79 प्रतिशत स्वयं के संसाधन से पोषित है।**

30.6 राज्य में आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र के विकास का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। आगामी बजट में चालू वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सामाजिक कल्याण तथा नगरीय कल्याण शामिल है।

30.7 राज्य के आर्थिक क्षेत्र में वर्ष 2006–07 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है। इसमें मुख्य रूप से कृषि हेतु 271.48 करोड़, लोक निर्माण हेतु 2088.23 करोड़, ग्रामीण विकास हेतु 1108 करोड़ तथा जल संसाधन हेतु 960 करोड़ शामिल है।

30.8 **वर्ष 2007–08 के लिये कुल राजस्व प्राप्तियाँ 13,466.97 करोड़ अनुमानित है जो कि चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान से 13 प्रतिशत अधिक है। कर राजस्व का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 16 प्रतिशत है। इसी प्रकार राज्य के स्वयं के राजस्व का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात लगभग 13 प्रतिशत अनुमानित की गई है।** राज्य के स्वयं के राजस्व में पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 15 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है, जिसमें कर राजस्व में 13 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 23 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। केन्द्र से प्राप्तियाँ चालू वर्ष की तुलना में 520.15 करोड़ अधिक अनुमानित की गई है। कुल व्यय का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य के स्वयं के राजस्व से पोषित हो रहा है ।

राजकोषीय स्थिति

31. अध्यक्ष महोदय, कर प्रयासों में सुधार तथा कर प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप राज्य के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि **इन्हीं प्रयासों के कारण वर्ष 2007–08 में 1,801.35 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है।**

31.1 राज्य का वित्तीय घाटा 1,566.85 करोड़ अनुमानित किया गया है जो कि अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 268 प्रतिशत है। **मुझे यह कहते हुये हर्ष हो रहा है कि व्यय में लगातार वृद्धि के बावजूद सकल वित्तीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम में दिए गए लक्ष्य की सीमा के अंदर है।**

31.2 वर्ष 2007–08 हेतु कुल प्राप्तियाँ 15,462.99 करोड़ तथा कुल व्यय 15,509.66 करोड़ अनुमानित किया गया है। **इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 46.87 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। वर्ष 2006–07 के पुनरीक्षित अनुमान में संभावित घाटा 738.70 करोड़ को शामिल करते हुये वर्ष 2007–08 का कुल बजटीय घाटा 785.57 करोड़ अनुमानित है**। इस घाटे की पूर्ति वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर की जावेगी।

भाग – 2

32. अध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों में राजस्व वृद्धि के लिए हमारी रणनीति कर की दरों में युक्तियुक्तकरण, कर प्रक्रिया का सरलीकरण एवं कर प्रशासन को चुस्त बनाना रहा है। 1 अप्रैल, 2006 से प्रदेश में नई कर प्रणाली वेट लागू की गई है। मुझे सदन को यह बताने में हर्ष है कि इस नई कर प्रणाली को लागू करने में हमें किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा है तथा इससे राजस्व वृद्धि भी प्रभावित नहीं हुई है। **इस वित्तीय वर्ष जनवरी महीने तक वेट राजस्व में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो की काफी उत्साहवर्धक है।**

32.1 **सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पूर्व वर्षों की भांति इस बजट में भी हम कोई नया कर प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं, न ही कर की दर में बढ़ोतरी प्रस्तावित है।**

वृत्ति कर

33. अध्यक्ष महोदय, हमारे संकल्प की प्रतिबद्धताओं के अनुक्रम में गत वर्ष वेतनभोगियों के लिए वृत्ति कर में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख प्रति वर्ष किया गया था। **इसी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सीमा 25 लाख प्रति वर्ष को बढ़ाकर 3.5 लाख किया जाना प्रस्तावित है।** इससे लगभग 4 करोड़ की राजस्व हानि होगी, लेकिन लगभग 16 हजार वेतनभोगी लाभान्वित होंगे।

वेट

34. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के स्थानीय महत्व तथा आम उपभोक्ताओं के उपयोग की वस्तुओं पर वेट की दरों में युक्तियुक्तकरण हेतु मेरा प्रस्ताव निम्नानुसार है :

- मच्छरदानी को वेट के अंतर्गत करमुक्त किया जाएगा।
- हस्त निर्मित साबुन पर प्रचलित वेट की दर 12.5 प्रतिशत को करमुक्त श्रेणी में रखा जाएगा।
- मेंहदी पर वेट की दर 12.5 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।
- प्लास्टिक कंघी पर वेट की दर 12.5 प्रतिशत को कम की जाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।
- सूखे मेवे को किराना की सूची में शामिल करते हुए वेट की प्रचलित दर 12.5 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।
- प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में उपयोग होने वाली 10/- रुपए तक की नेल पॉलिश पर वेट की प्रचलित दर 12.5 प्रतिशत को कम की जाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।
- ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कांपेक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पस पर वेट की प्रचलित दर 12.5 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।
- ऑडियो कैसेट पर प्रचलित वेट की दर 12.5 प्रतिशत को कम की जाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।

- बारबेड वॉयर पर वेट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।

35. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यह बजट किसानों को समर्पित है। इस उद्देश्य से मैं कृषि उपकरणों के लिए निम्न रियायतों की घोषणा करता हूँ :

- **शक्ति चालीत कृषि उपकरणों को वेट से करमुक्त किया जाएगा**।
- माइक्रो इरीगेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **स्प्रिंकलर एवं ड्रीप सिस्टम तथा इनके स्पेयर पार्ट्स को वेट से मुक्त किया जाएगा**।

36. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अधोसंरचना तथा औद्योगिकीकरण एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेट की दरों में निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ :

- सेकेंड हैंड पूंजीगत माल को वेट के अंतर्गत ''इनपुट टैक्स रिबेट'' की पात्रता होगी।
- अर्थ मूवींग, सड़क निर्माण, मेटेरियल हेंडलिंग तथा माईनिंग इक्यूपमेंट को पूंजीगत माल की श्रेणी में शामिल किया जाकर उन पर प्रचलित वेट की दर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की जाएगी।
- प्रदेश में फ्लाईएश जनित प्रदूषण में कमी तथा वेस्ट मेटेरियल के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **ब्लेन्डेड सीमेंट** पर वेट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।

- प्रदेश में त्वरित विद्युतीकरण की योजना को ध्यान में रखते हुए विद्युत लाईन बिछाने हेतु आवश्यक सीमेंट कांक्रीट पोल पर वेट की प्रचलित दर 12.5 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।

- जीपर तथा जीप फास्नर को इंडस्ट्रीयल इनपुट की श्रेणी में शामिल करते हुए इस पर वेट की प्रचलित दर 12.5 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।

- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होटल तथा रेस्टॉरेंट में परोसे जाने वाले कुक्कड फूड पर 4 प्रतिशत की दर पर कंपोजिशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

37. अध्यक्ष महोदय, मैं कर प्रक्रिया में निम्नानुसार सरलीकरण प्रस्तावित करता हूँ :

- 1 अप्रैल, 2007 से सभी डीलर्स जो कंपनीज् एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं, के लिए ''ई–रिटर्न'' जमा करना अनिवार्य किया जाएगा।

38. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यह बजट आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को समर्पित है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्यों के सक्रिय सहयोग से मैं बजट में दिए गए आश्वासनों को पूरा कर पाने में सफल हो सकूँगा। दरअसल, ये मात्र आश्वासन नहीं, मेरे और इस सरकार के वचन हैं। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं इन दो पंक्तियों के साथ वार्षिक बजट 2007–08 तथा वित्त विवरण माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

मंजिल पे जिन्हें जाना है वह शिकवा नहीं करते,
शिकवा जो करते हैं वह पहुँचा नहीं करते।